न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—243/2015/223 (2015/00156)

1. श्रीमती गोदावरी देवी पत्नि स्व0 हरजी पुत्रवधु स्व0 छीतर पुत्र लूम्बा, जाति रावत, निवासी ग्राम छोटी होकरा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. गोपालसिंह पुत्र स्व0 हरजी पौत्र स्व0 छीतर पुत्र लूम्बा, जाति रावत, ग्राम छोटी होकरा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर
   समस्त जरिये मुख्तयारआम छोटूसिंह पुत्र लूम्बा, जाति रावत, निवासी छोटी होकरा, तह0 पुष्कर जिला अजमेर ।
3. छोटू पुत्र लूम्बा, जाति रावत, नि0 होकरा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. नायब तहसीलदार, पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर, दिनांक 2.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 21/2006.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः—5.4.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नंबर 303 के वर्किंग खसरा नंबर 348 रकबा 2—11—00 किस्म चाही की भ्झूमि जो ग्राम होकरा, तह0 पुष्कर में स्थित है जो कि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है तथा खेवट फसली 1365 के अनुसार खातेदार छीतर पुत्र लूम्बा दर्ज है जो कि वादिया संख्या 1 का ससुर व वादी संख्या 2 का दादा था, खातेदार दर्ज है । इस संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र में दर्शाये अभिकथन की पुष्टि के संदर्भ में राजस्व अभिलेख रिकार्ड दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण को अपीलाधीन भूमि के खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति प्रसारित की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. सर्वप्रथम विद्वान वकील अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि में भू–संशोधन जमाबंदी के अनुसार छोटू पुत्र लूम्बा रावत दर्ज है एवं प्रदर्श–14 से भी प्रमाणित है कि अपीलाधीन भूमि में छोटू पुत्र लूम्बा का भी हित है एवं आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है एवं अपीलांट संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये मुख्तयारआम भी छोटू पुत्र लूम्बा रावत ही पैरवी कर रहा है । इस कारण छोटू पुत्र लूम्बा को अपीलांट संख्या 3 के रूप में संयोजित किया जावे ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया छोटू पुत्र लूम्बा अपीलांट संख्या 1 व 2 की और से जरिये मुख्तयारआम पैरवी कर रहा है तथा भू–संशोधन जमाबंदी छोटू पुत्र लूम्बा रावत प्रदर्श–14 राजस्व अभिलेख से अपीलाधीन भूमि में हित रखता है इस कारण अपीलाधीन भूमि में हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार होने से छोटू पुत्र लूम्बा को अपीलांट संख्या 3 पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाता है ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसके खातेदार प्रदर्श–2 खेवट फसली 1365 के अनुार वादिया संख्या 1 के ससुर एवं वादिया संख्या 2 के दादा छीतर पुत्र लूम्बा राजति रावत दर्ज है तथा साथ ही वादीगण के द्वारा वादपत्र के साथ वादपत्र में दर्शायी भूमि के समर्थन में प्रदर्श–1 खेवट फसली 1365, प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी संवत् 2020, प्रदर्श–5 संवर्त 2022 से 2024, प्रदर्श–6 संवत् 2026 से 2029, प्रदर्श–7 संवत् 2031 से 2033, प्रदर्श–8 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2032, प्रदर्श–9 खसरा गिरदावरी संवत् 2033, प्रदर्श–10 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2040, प्रदर्श–11 खसरा परिवर्तनशील 2046, प्रदर्श–12 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2047, प्रदर्श–13, खसरा परिवर्तनशील 2049, प्रदर्श–14 खसरा परिवर्तनशील 2053, प्रदर्श–15 वर्किग जमाबंदी, प्रदर्श–16 मिलान क्षैत्रफल हेतु आवेदन पत्र, प्रदर्श–17 धारा 80 जा0दी0 का नोटिस, प्रदर्श–18 प्रस्तुत किये गये किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा वाद पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के संदर्भ में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का विवेचन ही नहीं किया गया, मात्र अपीलाधीन आदेश इस आधार पर निरस्त कर दिया कि श्रवण व रंगलाल पि0 काना रावत, एवं छोटू पुत्र लूम्बा रावत को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया के आधार पर वादवपत्र निरस्त किया गया, जबकि चौसाला खसरा नंबर 303 रकबा 2–11–00 के खातदेार छीतर पुत्र लूम्बा एवं चौसाला खसरा नंबर 3030 मिन 0–3–10 की भूमि जो कि श्रवण पुत्र रंगलाल पुत्रगण काना की है जबकि वादीगण के द्वारा चौसाला खसरा नंबर 303 मिन रकबा 2–11–00 के संदर्भ में ही वाद प्रस्तुत किया गया, इस भूमि से श्रवण व रंगलाल पुत्र काना का कोई वास्ता नहीं है, छोटू पुत्र लूम्बा जो कि वादीगण का मुख्तयारआम, वादपत्र में पक्षकार है, ऐसी अवस्था में अधी0न्याया0 के द्वारा वादीगण का वाद निरस्त किये जाने में कानूनी त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय का आधार यह है कि श्रवण व रंगलाल पुत्रगण काना को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जबकि आदेश 1 नियम 10 (2) जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार अधी0न्याया0 के द्वारा स्वमेव यदि श्रवण व रंगलाल को आवश्यक पक्षकार होना मानते थे तो अधी0न्याया0 स्वंय पक्षकार नियुक्त करने के आदेश प्रदान कर सकते थे किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर पक्षकार के कुसंयोजन के आधार पर वाद निरस्त करने में त्रुटि कारित की है ।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादपत्र साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत था किन्तु इसी दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक अदालत लगाने के आदेश दिये गये जिस पर वादीगण का वाद लोक अदालत/कैम्प कोर्ट खोरी, तहसील पुष्कर में पत्रावली रखी गई जबकि लोक अदालत में राजीनामा, सद्भाव के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है किन्तु अधी0न्याया0 ने लोक अदालत की भावना के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलाधीन भूमि वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है एवं पुश्तैनी समय से आज दिवस तक काबिज है तथ राज0काश्त0अधि0 1955 जो कि अजमेर जिले में दिनांक 15.6.1958 को लागू किया गया था के रोज एवं इससे पूर्व वादीगण के पूर्वज निरन्तर काबिज काश्त चले आये है ऐसी स्थिति में राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 15 के अनुसार छीतर पुत्र लूम्बा ही खातेदार हो चुके थे तथा दॉ अजमेर अबोलियेशन ऑफ इन्टर मिडियेट्री एण्ड लैण्ड रिफार्म एक्ट 1955, एवं दॉ अजमेर टिनेन्सी एण्ड लेण्ड रूल्स 1950 के प्रावधान के अनुसार भी छीतर पुत्र लूम्बा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा इन तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का निर्णिय विधिक रूप से नहीं दिया गया है एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के प्रतिकूल विवाद बिन्दु का निर्णय भी विधिक रूप से नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादीगण/अपीलांट को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

8. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 से प्रतिबंधित होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । यह भी कथन किया कि अपीलांटस ने वाद में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं किया जिससे भी वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज होने योग्य था । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि खसरा नंबर पुराना 303 रकबा 2–11–00 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 348 ग्राम होकरा, तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है । राजस्व अभिलेख 1365 फसली जमाबंदी के अनुसार अपीलाधीन भूमि के खातेदार छीतर पुत्र लूम्बा दर्ज है जिसके वारिस वादीगण संख्या 1 व 2 है तथा वादीगण की पुश्तैनी भूमि है । छीतर पुत्र लूम्बा का स्वर्गवास हो चुका है । यह भी कथन है कि भू–संशोधन जमाबंदी में भी अपीलाधीन बाबत् अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी एवं खसरा परिवर्तनशील के अनुसार अपीलांटस का कब्जा पुश्तैनी तौर से निरन्तर चला आया है परन्तु पूर्वतः जमाबंदी के विपरीत वर्तमान जमाबंदी में गलत तौर से सिवायचक दर्ज कर दी है इस कारण अपीलांटस को बतौर खातेदार दर्ज किया जावे ।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2 1365 फसली राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खसरा नंबर पुराना 303 रकबा

2–14–10 छीतर पुत्र लूम्बा रावत काश्तकार दर्ज है । प्रदर्श– 5 खसरा गिरदावरी संवत् 2020 में छीतर पुत्र लूम्बा द्वारा काश्त किया जाना अंकित है, प्रदर्श–9 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2032 में खसरा नंबर पुराना 303 छीतर पुत्र लूम्बा रावत की काश्त दर्ज है, इसी प्रकार प्रदर्श–10 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2033 मे अपीलांटस की काश्त दर्ज है । इसी प्रकार प्रदर्श–11 लगायत प्रदर्श–15 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2040, 2043, 2047, 2049 में भी अपीलांटस की काश्त अपीलाधीन भूमि में किया जाना प्रमाणित होता है । अपीलाधीन भूमि प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 1365 फसली में अपीलांटस के पिता छीतर पुत्र लूम्बा की खातेदारी में दर्ज रही एवं उपरोक्त गिरदावरियों व पी–14 के अनुसार अपीलांटस का निरन्तर अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है फिर भी किस प्रकार, किस आदेश से अपीलाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज की गई प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना जाहिर नहीं होता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्व जमाबंदी के इंद्राज को वर्तमान जमाबंदी में ज्यो–का–त्यों अंकित करना चाहिये । बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के इंद्राज परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि छीतर पुत्र लूम्बा की खातेदारी में दर्ज थी तो किस प्रकार सिवायचक दर्ज की गई इस संबंध में किसी भी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध होना जाहिर नहीं होता है । प्रदर्श–12, 13, 14 व 15 पी–14 के अनुसार अपीलांट संख्या 3 छोटु पुत्र लूम्बा की काश्त किया जाना प्रमाणित होता है । अपीलाधीन भूमि में अपीलांटस संख्या 1 व 2 के साथ अपीलांट संख्या 3 का भी बराबर का हक व हिस्सा व कब्जा होना प्रमाणित है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपने अभिवचनों के संबंध में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त पी0डब्ल्यू01 छोटू पुत्र लूम्बा के बयान, पी0डब्ल्यू02 रामा पुत्र हीरा के बयान व पी0डब्ल्यू03 मेवा पुत्र नाहरा के बयान कराये जिससे सरकार पक्ष द्वारा जिरह भी की गई परन्तु प्रतिवादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये न ही किसी के बया नही करवाये गये । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का प्रतिवादी द्वारा खण्डन नहीं किया गया है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन भूमि अपीलांटस की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना सिद्ध होता है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में अपीलांटस/वादीगण का वाद यह कहते हुए निरस्त किया है कि अपीलांटस/वादीगण द्वारा श्रवण व रंगलाल पि0 काना रावत व छोटू पुत्र लूम्बा जाति रावत को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण वाद खारिज किया है जबकि प्रदर्श–9 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2032, प्रदर्श–10 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2033 के अनुसार खसरा नंबर 303 मिन रकबा 2–11–00 छीतर पुत्र लूम्बा की काश्त अंकित है एवं इसी प्रकार खसरा नंबर 303 मिन रकबा 0–3–10 पर श्रवण, रंगलाल पि0 काना रावत की काश्त दर्ज है । प्रदर्श–9 व 10 से यह प्रमाणित होता है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 303 मिन रकबा 2–11–00 जो अपीलांटस के पिता छीतर पुत्र लूम्बा की खातेदारी में दर्ज रही उसी बाबत् वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है एवं खसरा नंबर 303 मिन रकबा 2–11–00 बाबत् ही अनुतोष चाहा गया था । खसरा नंबर 303 मिन रकबा 0–3–10 जो श्रवण, रंगलाल पुत्र काना का कब्जा था, जो अलग भूमि है, के बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा था एवं न ही उस बाबत् कोई दावा ही था । हस्तगत प्रकरण में श्रवण, रंगलाल पि0 काना किसी भी प्रकार से हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार नहीं थे । इसी प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा यह कथन किया कि छोटू पुत्र लूम्बा को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि छोटू पुत्र लूम्बा अधी0न्याया0 के समक्ष

वाद में अपीलांट संख्या 1 व 2 के मुख्तयारआम की हैसियत से पैरवी कर रहा था । वैसे भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नोन–जोईन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर वाद निरस्त नहीं करना चाहिये । अपीलांटस द्वारा दौराने अपील छोटू पुत्र लूम्बा को भी पक्षकार बनने का आवेदन पेश किया गया जिस पर छोटू पुत्र लूम्बा को अपीलांट संख्या 3 के रूप में संयोजित कर लिया गया है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधी0न्याया0 का निर्णय तनकी संख्या 1 पर विधिसंगत नहीं माना जा सकता है जिसे यथावत् नहीं रखा जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 अपीलांटस/वादीगण के पक्ष में प्रमाणित व सिद्ध होना पायी जाती है ।

11. तनकी संख्या 2 के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब तनकी संख्या 1 अपीलांटस के पक्ष में साबित होने से तनकी संख्या 2 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य होकर उक्त तनकी संख्या 1 के परिप्रेक्ष्य में एवं उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों, खसरा गिरदावरी एवं खसरा परिवर्तनशील के आधार पर विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आया है तथा अपीलांटस अपीलाधीन भूमि का खातेदार काश्तकार तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार पाये जाने से अपीलांटस प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांटस/वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती है । ।

13. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2015 निरस्त किया जाता है तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलांटस को ग्राम होंकरा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर के चौसाला खसरा नंबर 303 के वर्किंग खसरा नंबर 348 रकबा 2–11–00 जिसके वर्तमान हाल खसरा नंबर 370 रकबा 0.14 है0 व 371 रकबा 0.27 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करें एवं न ही बेदखल करे । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 5.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर